

बिहार सरकार

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस0आई0ए0) की अधिसूचना

चूँकि समाहर्ता खगड़िया को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ परियोजना:- सुल्तानगंज (भागलपुर), अगुआनी घाट (खगड़िया) के बीच 2x2 लेन पुल एवं संपर्क पथ के निर्माण हेतु ग्राम/वार्ड, सियादतपुर अगुआनी, तेमथा करारी, रामपुर उर्फ रहीमपुर, टीमापुर उर्फ लगार, वैसा, पिपरा लतिफ, तेमथा अराजी पटपर, बन्देहरा शेरचकला एवं सोन्डिहा थाना- गौगरी थाना नं0:-380, 382/1, 373, 379, 352, 381, 384, 385, 335 एवं 336 अंचल:- परबत्ता एवं गौगरी जिला:- खगड़िया में कुल 198.474 एकड़ यानि 80.323 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (30/2013) की धारा-04 तथा बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2014 के नियम-06 के उपनियम (1) एवं एतद संबंधी निर्गत राजस्व विभागाध्य संकल्प क्रमांक 647/रा0 दिनांक 9.5.16 के अधीन राज्य एस0आई0ए इकाई आद्री, बोरिंग रोड, पटना के उक्त परियोजना के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

i- परियोजना का नाम :-सुल्तानगंज (भागलपुर), अगुआनी घाट (खगड़िया) के बीच 2x2 लेन पुल एवं संपर्क पथ का निर्माण।

ii- परियोजना का संक्षिप्त विवरण सुल्तानगंज (भागलपुर), अगुआनी घाट (खगड़िया) के बीच 2x2 लेन पुल एवं संपर्क पथ के निर्माण की आवश्यकता।

iii- परियोजना का क्षेत्र :-खगड़िया जिला अन्तर्गत अंचल परबत्ता एवं गौगरी के पत्तन सियादतपुर अगुआनी, तेमथा करारी, रामपुर उर्फ रहीमपुर, टीमापुर उर्फ लगार, वैसा, पिपरा लतिफ, बन्देहरा, शेरचकला एवं सोन्डिहा

iv- अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि/भू-खण्ड का विवरण :-मौजा-बन्देहरा, खेसरा सं0-76, 78, 75, 69, 60, 74, 68, 61, 70, 59, 56, 54, 62, 55, 53, 105, 106, 107, 111, 110, 112, 114, 115, 109, 103, 104, मौजा-वैसा, खेसरा सं0- 386, 385, 416, 413, 414, 378, 359, 358, 417, 438, 437, 439, 441, 442, 443, 444, 377, 379, 380, 407, 408, 410, 360, 409, 460, 458, 461, 462, 463, 466, 311, 312, 309, 313, 413, 364, 305, 314, 303, 297, 298, 295, 291, 292, 383, 487, 412, 336, 384, 459, 415, 319, मौजा-तेमथा अराजी पटपर, थाना नं0-384, खेसरा सं0-553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 477, मौजा-पिपरा लतिफ, खेसरा सं0-838, 840, 841, 839, 837, 959, 316, 882, 881, 878, 879, 880, 868, 877, 885, 886, 889, 890, 891, 895, 896, 897, 905, 906, 894, 958, 957, 1036, 961, 960, 956, 964, 963, 965, 966, 967, 968, 976, 1008, 1007, 1006, 1003, 1004, 1002, 999, 996, 998, 997, 992, मौजा-शेरचकला, खेसरा सं0-874, 875, 876, 878, 879, 880, 870, 882, 883, 885, 884, 886, 429, 742, 741, 703, 1187, 740, 738, 739, 692, 693, 694, 691, 736, 695, 701, 688, 702, 704, 706, 707, 673, 714, 654, 655, 653, 656, 660, 659, 661, 662, 656

Received
for subd.
12/12/2017
10:10 AM

1191, 1190, 1192, 1193, 1194, 1201, 1203, 1195, 1202, 1204, 1205, 1206, 700
 1187 मौजा-सोन्डिहा, खेसरा सं०-846, 847, 542, 457, 442, 547, 546, 544, 548
 845, 543, 534, 533, 529, 532, 535, 531, 530, 528, 455, 456, 454, 453, 451, 449
 446, 447, 445, 444, 443 मौजा-सियादतपुर अगुआनी, थाना नं०-380, खेसरा
 सं०-468, 473, 474, 475, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 444 मौजा-टीमापुर
 उर्फ लगार, खेसरा सं०-19, 20, 46, 44, 367, 41, 40, 21, 43, 42, 45, 51, 371, 370,
 374, 371, 370, 369, 353, 368, 354, 401, 400, 402, 393, 389, 375, 377, 376
 मौजा--रामपुर उर्फ रहीमपुर, खेसरा सं०-196, 197, 195, 199, 191 मौजा--तेमथा करारी,
 थाना नं०-382/1, खेसरा सं०-1022, 1019, 1018, 1009, मौजा--तेमथा करारी, थाना
 नं०-382, खेसरा सं०-600, 644, 606, 734, 741, 587/825, 597/824, 517/823,
 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740
 मौजा--सियादतपुर अगुआनी, थाना नं०-380/2, खेसरा सं०-12, 11, 13, 14, 15, 16,
 28, 10, 78, 35, 29, 31, 32, 33, 76, 77, 80, 34, 30 मौजा--सियादतपुर अगुआनी,
 थाना नं०-380, खेसरा सं०-1, 2, 3,

v- एस०आइ०ए द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :- परबत्ता एवं गोगरी अंचल के आंशिक क्षेत्र

vi- एस०आइ०ए के प्रमुख उद्देश्य एवं क्रियाकलाप -परामर्श, सर्वेक्षण, प्रभावित परिवारों की सूची, पूर्णवासित होनेवाले परिवारों की सूची,

लोक सुनवाई/सुनवाईयों, इत्यादि

vii- एस०आइ०ए के टाइमलाईन और अंतिम परिदेय (TOR के अनुसार) :- तीन माह

viii- राज्य एस०आइ०ए० इकाई की संपर्क सूचना :- आद्री, बोरिंग रोड, पटना

एस०आइ०ए० अध्ययन अवधि के दौरान प्रपीडन अथवा भय उत्पन्न करने की कोशिश हुई एवं जाँचोपरांत यह कृत सही पाये जाने पर सामाजिक प्रभाव मृत्यांकन अध्ययन में अंकृत और शून्य कर दिया जायेगा।

ह
 राज्य
 खेसरा

ज्ञापाक :- 63 / दिनांक 10.2.12

प्रतिलिपि :- राज्य एस०आइ०ए० इकाई :-आद्री, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी/अंचलाधिकारी गोगरी एवं परबत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुखिया, ग्राम पंचायत राज:- सियादतपुर अगुआनी, तेमथा करारी, रामपुर उर्फ रहीमपुर, टीमापुर उर्फ लगार, वैसा, पिपरा लतिफ, बन्देहरा, शेरचकला एवं सोन्डिहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एस०आइ०सी०) खगडिया को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।